न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 129/2019
(GCMS 2019/00214)

राज्य सरकार जरिये श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्रीगंगानगर

बनाम

दुलीचंद पुत्र किशनलाल मार्फत मै. कुबेर लाईट हाउस, बीकानेर रोड़, सिटी पुलिस थाने के सामने, सूरतगढ़

06.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया।

अप्रार्थी दुलीचंद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6बी के तहत दिनांक 03.10.2019 को नोटिस जारी किया गया था, जो उसे दिनांक 11.10.2019 को स्वयं को तामील हो गया था। अप्रार्थी दुलीचंद को उक्त नोटिस स्वयं पर तामील होने के पश्चात भी वह स्वयं अथवा उसका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं।

विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 07.09.2019 को घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की सूचना दूरभाष पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्राप्त होने पर श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सूरतगढ़ हमराह श्री अशोक प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीगंगानगर, तहसील सूरतगढ़ में बीकानेर रोड़, सिटी पुलिस थाने के सामने स्थित मैसर्स कुबेर लाईट हाउस पर जांच की गइ थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि जांच के समय श्री दुलीचंद पुत्र किशनलाल उक्त स्थल पर निरीक्षण दस्ते को उपस्थित मिले। उन्होनें स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा उनके द्वारा ही अपनी उपस्थिति में निरीक्षण करवाया गया। मौके पर प्रतिष्ठान में गैस चूल्हे आदि रिपेयर व विक्रय करने का कार्य किया जाता है, तथा श्री दुलीचंद द्वारा कार्य की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि वक्त जांच दुकान पर चालू हालात में 05 बीपीसी कम्पनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एस.आर.नं. 716464, 0502975, 85339, 424138, 733144) रखे मिलें। इसके अलावा दुकान से 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रोनिक मोटर (गैस रिफिल में प्रयोग होने जैसी) बरामद की गई। दुलीचंद द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर तथा सामान के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया व न ही ब्ल्यू बुक आदि मौके पर पेश की गई। इसके साथ ही अन्य बरामद सामान से गैस रिफिल कर विक्रय करना प्रतीत हो रहा था। इसलिए अप्रार्थी दुलीचंद से जब्तशुदा उक्त सामान को राजसात किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर पांच घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रोनिक मोटर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर राजेश पुत्र जगदीश प्रसाद खेमका, जय बजरंग बली, गैस एजेंसी (बीपीसीएल) सूरतगढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौक जब्ती व सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया। इसलिए दुलीचंद द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तशुदा पांच घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा, रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रॉनिक मोटर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो दिनाक 09.09.2019 घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी मय स्टाफ जांच हेतु मैसर्स कुबेर लाईट हाउस पर पहूंचे तो वहां दुकान के मालिक श्री दुलीचंद उपस्थिति मिले उनकी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपस्थिति में उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकानदार द्वारा एलपीजी चूल्हे आदि रिपेयर व विक्रय करने का कार्य किया जा रहा था और इसकी एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जा रही थी। जांच के समय दुकान पर चालू हालत में 5 बीपीसी कंपनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एसआर नं. 716464, 05022975, 85339, 424138, 733144), 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रानिक मोटर बरामद की गई। अप्रार्थी दुलींचद ने उक्त गैस सिलेण्डर एवं सामान के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व न ही ब्ल्यू बुक पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त व्यापर स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने के कारण माके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रानिक मोटर राजेश पुत्र जगदीश प्रसाद खेमका की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती व सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया। अप्रार्थी दुलीचंद द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order 2000 के क्लाज 3(1) (बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना के कारण प्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत उक्त जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रानिक मोटर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार वैद्य अनुज्ञापत्र/दस्तावेज होने का भार अप्रार्थी पर है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 निम्न प्रकार से है :**

> धारा 14 : कतिपय मामलों में सबूत का भार :
>
> **जहां कोई व्यक्ति धारा 2 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिबद्ध करता है वहाँ यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी का होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी दुलीचंद पुत्र किशन लाल को दिनांक 11.10.2019 को नोटिस की विधिवत् तामील हो गई थी, परन्तु उसके बाद भी वह स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में कभी भी उपस्थिति नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी दुलीचंद द्वारा उक्त व्यापार स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा **द्वारा कोई वैद्य अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा 5 बीपीसी कंपनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एसआर नं. 716464, 05022975, 85339, 424138, 733144), 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रानिक मोटर को **Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 3(1)(बी)(सी) एवं 7 (1) (सी) की अवहेलना करने के कारण राजसात करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी से **जब्तशुदा** 5 बीपीसी कंपनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एसआर नं. 716464, 05022975, 85339, 424138, 733144), 1 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 1 इलैक्ट्रानिक मोटर **को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात** किये जाते है। **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त जब्तशुदा सामग्री से प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवायें। उक्त जब्तशुदा 05** बीपीसी कंपनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एसआर नं. 716464, 05022975, 85339, 424138, 733144) **को अति. आयुक्त खाद्य के आदेश क्रमांक एफ86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 जयपुर, 19 अगस्त 2000 के अनुसरण में निस्तारण किया जावे।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 06.08.2024 को [redacted] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर